**न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान**
**उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी**
A.B.P. No.-1151/2026
पवन कुमार बनाम बिहार सरकार
[जी.बी.नगर थाना कांड संख्या 181/2026]
**आदेश**

**03.06.2026** आवेदक/अभियुक्त **पवन कुमार पे0–बिरेद्र यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 1151/2026, जी.बी.नगर थाना कांड संख्या 181/2026, अंतर्गत धारा 191(2), 190, 115(2), 118(1), 109(1), 352, 351(2), 303(2) भारतीय न्याय संहिता आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विकाश कुमार पाण्डेय एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में सूचिका का फर्दबयान यह है कि दिनांक 05.04.2026 को सूचिका और उसका छोटा भाई संतोष कुमार के साथ ग्राम सतवार अपनी मौसी के घर पर अपने नाना जी से मिलने गई थी। सूचिका एवं उसका भाई दोनों अपने नाना जी से बात ही कर रहे थे कि उसी समय करीब 08:00 बजे पवन कुमार, रोहित कुमार, निशु कुमारी, निक्की कुमारी, रीता देवी, नंद किशोर यादव एवं जितन यादव सभी एक राय होकर अपने–अपने हाथ में लाठी, डंडा, चाकू, फरसा लेकर इन लोगों के पास आए और इन लोगों को गाली देते हुए बोले कि तुम दोनों भाई बहन यहां पर किस लिए आए हो। सूचिका दोनों भाई बहन बोले कि हमलोग अपने नाना जी से मिलने आए हैं। जब ये दोनों भाई बहन उन लोगों को गाली देने का विरोध किए तो उसी पर पवन कुमार अपने हाथ में लिए चाकू से जान मारने की नियत से सूचिका के उपर चलाए जो सूचिका के सीना एवं दाहिने पैर के जांघ में लगा। उसके बाद रीता देवी अपने हाथ में लिए फरसा से जान मारने की नियत से सूचिका के सिर पर चलाई तो उसका सिर कट गया और बहुत जोर से खून बहने लगा। जब सूचिका का भाई संतोष कुमार उसे बचाने लगे और घटना को सुनकर सूचिका का भाई धनंजय कुमार भी आ गए तो सूचिका के दोनों भाई को भी निक्की कुमारी, निशु कुमरी, रोहित कुमार, नंद किशोर यादव, जितन यादव पांचों के हाथ में लाठी था, वे पांचों मिलकर सूचिका के दोनों भाई को लाठी, डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिए। उसके बाद हल्ला सुनकर गांव के लोग आए और सूचिका एवं उसके दोनों भाई का बचाव किए। सूचिका एवं उसके सूचिका का फर्दबयान यह है कि दिनांक 05.04.2026 को सूचिका और उसका छोटा भाई संतोष कुमार के साथ ग्राम सतवार अपनी मौसी के घर पर अपने नाना जी से मिलने गई थी। सूचिका एवं उसका भाई दोनों अपने नाना जी से बात ही कर रहे थे कि उसी समय करीब 08:00 भाई वहां से भागे तो जान बचा, नहीं तो तीनों भाई बहन का जान भी नहीं बचता। वहां से भागे तो थोड़े देर के बाद सूचिका बेहोश हो गई। जब होश आया तो देखी कि सूचिका सिवान अस्पताल में भर्ती पाई गई। विवाद का कारण यह है कि

**न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान**
**उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी**
A.B.P. No.-1151/2026
पवन कुमार बनाम बिहार सरकार
[जी.बी.नगर थाना कांड संख्या 181/2026]

**03.06.2026**

**लगातार** सूचिका के नाना जी को कोई लड़का नहीं है। उन्हीं की संपत्ति को हड़पने के लिए ये लोग पूर्व से ही प्लान बनाए हुए थे। जो आज इन लोगों के साथ यह घटना घटी है। सूचिका के गर्दन से आधा भर के सोने का चैन रीता देवी, निक्की कुमारी एवं निशु कुमारी तीनों तोड़ कर भाग गई।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृत नहीं है। आवेदक के खिलाफ लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा और आधारहीन है। उभय पक्षों के बीच पलटावाद का मुकदमा पंजीकृत है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा गया है कि आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी जी. बी.नगर थाना कांड संख्या 181/2026, अंतर्गत धारा 191(2), 190, 115(2), 118(1), 109(1), 352, 351(2), 303(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आवेदक के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध चाकू से सूचिका के ऊपर जख्म कारित करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 7, 8 एवं 13 में साक्षियों का साक्ष्य अंकित है जिसमें सभी साक्षियों ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 19 में सूचिका के सिर में हुई जख्म का फोटोग्राफ मौजूद है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 22 में वादिनी का बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। कांड दैनिकी के अनुसार आवेदक के खिलाफ इस मामला के अलावा पूर्व से एक अन्य मामला पंजीकृत है।

**न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान**
**उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी**
A.B.P. No.-1151/2026
पवन कुमार बनाम बिहार सरकार
[जी.बी.नगर थाना कांड संख्या 181/2026]

**03.06.2026**

**लगातार** कांड दैनिकी के साथ जख्मी का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है जिसके अनुसार सूचिका के सिर पर चोट का निशान है। आवेदक के विरूद्ध अभी अनुसंधान जारी है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं कारित जख्म की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **पवन कुमार** के तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 29.04.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
**(उमेश मणि त्रिपाठी)**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 03.06.2026

| | |
|---|---|
| Date of Order/Judgment | 03.06.2026 |
| Date of Reserving Order/Judgment | 03.06.2026 |
| Uploading Date | 10.06.2026 |
| Uploaded By | RAVI KANT |